संख्या– 1821 ई–2/तेरह–2010–72/2006

प्रेषक,

नवल किशोर,
विषेश सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक:: 30 जुलाई, 2010

विषयः– **प्रदेश में पेय मदिरा/बीयर के उत्पादन हेतु नयी आसवनियों/यवासवनियों (ब्रिवरीज) की स्थापना एवं पूर्व स्थापित आसवनियों/यवासवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में विस्तार हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी–43/दो–प्राविधिक/ब्रिवरी स्थापना नीति, दिनांक 13 जुलाई,2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रदेश में नई आसवनियों/यवासवनियों की स्थापना तथा पूर्व स्थापित आसवनियों/यवासवनियों की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

(1) पेय अल्कोहल उद्योग के लिये नई क्षमता सृजन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2612 ई–2/तेरह–2005–374/98 दिनांक 05 सितम्बर, 2005 में वर्णित नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जायेगाः–

(क) पेय मदिरा उत्पादन हेतु नयी आसवनियों की स्थापना तथा औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन करने वाली आसवनियों/कैप्टिव आसवनियों को पेय मदिरा बनाने की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार करके संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 07 सदस्यीय समिति के स्थान पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बना दी जाय, जिसमें प्रमुख सचिव, आबकारी संयोजक सदस्य होंगे तथा प्रमुख सचिव, वित्त एवं आबकारी आयुक्त सदस्य होंगे। समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगाः–

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त – अध्यक्ष,
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग – सदस्य,
(3) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग – सदस्य/संयोजक
(4) आबकारी आयुक्त – सदस्य

(ख) उक्त समिति द्वारा किसी इकाई को पेय मदिरा उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करने की संस्तुति किये जाने पर उक्त संदर्भ में मा0 आबकारी मंत्री जी के स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

(2) प्रदेश में नई यवासवनियों की स्थापना/पूर्व स्थापित यवासवनियों की क्षमता वृद्धि सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

(क) इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(ख) आबकारी आयुक्त के स्तर से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों पर शासन स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–1822 ई–2/तेरह–2010–72/2006, दि0 30 जुलाई,2010 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) उक्त समिति सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में बियर की मॉग, उत्पादन, खपत, आयात व निर्यात तथा राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत यवासवनी की स्थापना/क्षमता वृद्धि के बारे में सम्यक विचारोपरान्त अपनी संस्तुति देगी।

(घ) उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

नयी यवासवनी की स्थापना/पूर्व स्थापित यवासवनियों की क्षमता वृद्धि की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:–

1. नयी यवासवनी की स्थापना हेतु दी गई अनुमति तत्सम्बन्धी माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ के समक्ष लम्बित वाद के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
2. नई यवासवनी की स्थापना हेतु आई0डी0आर0ऐक्ट 1951 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित यथावश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3. इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न अन्य नियमों/अधिनियमों व विधि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ–साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक पर कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(च) शासन स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त सुसंगत नियमों/अधिनियमों की व्यवस्था के तहत लाइसेंस निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में पेय मदिरा/बीयर के उत्पादन हेतु नयी आसवनियों/यवासवनियों (ब्रिवरीज) की स्थापना एवं पूर्व स्थापित आसवनियों/ यवासवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में विस्तार की अनुमति हेतु अद्यतन जो भी प्रार्थनापत्र शासन को संदर्भित किये गये हों या आपके स्तर पर लम्बित हों, उन सभी का लेखा विवरण रखते हुए उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर वांछित आवश्यक कार्यवाही करने एवं यथावश्यक प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।